राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–49/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/131
दायर दिनांक– 30.06.2023
निर्णय दिनांक–14.6.2024
उनवानी–

1. इनायत खॉ पुत्र बोदू खॉ जाति मुसलमान नि0 ग्राम पनेर तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
––प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. मोहम्मद सराज पुत्र रीमजू खां
3. गफूरी पत्नि उमर खां
4. लाल मोहम्मद पुत्र हस्ती खां

अप्रार्थी 2 लगायत 4 जाति मुसलमान निवासी ग्राम पनेर तह0 रूपनगढ़
–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री अरविन्द कुमार दाधीच अधि0 प्रार्थी
2. श्री रामदेव गुर्जर अधि0 अप्रार्थी संख्या 2 से 4
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ़ का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पनेर पटवार हल्का पनेर भू0अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है जिसके खाता सं0 20 के ख0न0 211 रकबा 1.1083 है0 है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम एकल कब्जे–काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा व दखल नहीं है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान् के मध्य नींव, सींव, मेड़ को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 को भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रार्थी के पडौसी कृषक खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर यथोचित

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

आदेश पारित करवाने हेतु निवेदन किया। तदनुसार प्रकरण में पड़ोसी खातेदार को पक्षकार संयोजित करने के आदेश प्रदान किये गये। वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया। संयोजित पक्षकारों अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की तलबी जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील उभयपक्षकारान व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खाता सं0 20 के ख0न0 211 रकबा 1.1083 है0 भूमि की पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में सर्वप्रथम सीमाज्ञान करवाया जावें तदनुसार उसके पश्चात सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुंल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)